

प्रेस नोट दिनांक- 23.07.2021

**थाना बकेवर पुलिस द्वारा हत्या की घटना का अनावरण करते हुए 01 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डॉ० बृजेश कुमार सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा तथा क्षेत्राधिकारी भरथना के नेतृत्व में थाना बकेवर पुलिस द्वारा दिनांक 21.07.2021 का हुई हत्या की घटना का अनावरण करते हुए 01 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

**घटना का संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 21.07.2021 की शाम को वादी जवर सिंह पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम मडौली थाना बकेवर इटावा द्वारा थाना बकेवर पुलिस को तहरीरी सूचना दी गयी थी कि आज शाम जब उनकी पुत्री रुचि उनके नाती अभय के साथ अपने खेत में चारा काट रही थी तभी उन्ही के पड़ोस के अमित बाबू उर्फ खुशीलाल पुत्र होम सिंह निवासी ग्राम मडौली थाना बकेवर, इटावा द्वारा खेत पर पहुंचकर मोटरसाइकिल के शाकर की रॉड उनकी पुत्री रुचि के सर पर प्रहार कर एवं चाकू से घायल कर दिया जिससे उनकी पुत्री की मृत्यु हो गयी। थाना बकेवर पुलिस द्वारा वादी की तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 336/21 धारा 302 भादवि बनाम अमित बाबू उर्फ खुशीलाल पुत्र होम सिंह निवासी ग्राम मडौली थाना बकेवर, इटावा अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा व अन्य अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया।

**गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-**

घटना की गम्भीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा क्षेत्राधिकारी भरथना के नेतृत्व में अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी थी। पुलिस टीम अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निरंतर प्रयासरत थी। इसी के क्रम में आज दिनांक 23.07.2021 को थाना बकेवर पुलिस को मुखबिर की सूचना के आधार पर मु०अ०सं० 336/2021 धारा 302 भादवि के नामजद वांछित अभियुक्त अमित बाबू उर्फ खुशीलाल पुत्र होम सिंह को रेन्ज कोठी थाना बकेवर, इटावा के पास से गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस टीम द्वारा हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के शाकर की रॉड व चाकू भी बरामद किया गया।

पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मृतिका रुचि के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था एवं जब रुचि के घर वालो ने उसका विवाह कहीं और पक्का कर दिया था एवं जब अभियुक्त ने रुचि को घर वालो की मर्जी से विवाह करने से मना किया तो वह नहीं मानी जिस कारण रोश में आकर मेने रुचि की हत्या कर दी।

**गिरफ्तार अभियुक्त:-**

1. अमित बाबू उर्फ खुशीलाल पुत्र होम सिंह निवासी ग्राम मडौली थाना बकेवर, इटावा

**बरामदगी:-**

1. आलाकत्ल मोटरसाइकिल के शाकर की रॉड

2. आलाकत्ल चाकू

**पुलिस टीम:-** श्री राजेश कुमार प्रभारी निरी० थाना बकेवर, उ०नि०श्री संजय कुमार दुबे, का० अरूण कुमार, का० अंकित चौधरी, का० अवनीश कुमार।

**सोशल मीडिया सेल  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  
जनपद इटावा**